दिल्ली चलो : मार्च 12, 2010

वामपंथी पार्टियां : सी.पी.आई., सी.पी.आई.(एम.), फारवर्ड व्लॉक, और आर.एस.पी. आपका 12 मार्च के दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली में आने का आवाहन करती हैं कि आप 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली में शामिल हों और केन्द्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो मूल्य वृद्धि के माध्यम से गरीबों के बजट को लूट रही हैं। यह रैली सभी लोगों को सस्ता राशन, काम और रोजगार मुहैया कराने तथा भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा रैली का उद्देश्य बंगाल में वामपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तृणमूल–माओवादी हिंसा की घोर भर्त्सना करना भी है।

मंहगाई के खिलाफ और सस्ते राशन के लिए

जरूरी खाद्य पदार्थों में अप्रत्याशित मंहगाई का शिकार देशभर की जनता हुई है। इस मंहगाई ने उनके रोजमर्रे की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, जैसे चावल, आटा, दाल, चीनी, खादृय तेल, दूध, सब्जी, आदि – ये सभी इतनी मंहगी हो गई हैं कि इन्हें खरीद पाना मुश्किल हो गया है। इस सबके लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। आम आदमी का नारा देते हुए कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन सरकार में आते ही उसने जिन नीतियों को अपनाया उससे सिर्फ खास आदमी को ही फायदा मिला।

उदाहरण के लिए :

आयातित गेंहू की खरीद के लिए उसने बड़े व्यापारियों को 12 से 14 रूपया दिया, जबकि उसी साल भारतीय किसानों को मात्र 9.50 रूपया दिया गया।
मंहगे आयात के बावजूद राशन की दुकानों में गेंहू के वितरण में लगातार कटौती जारी है।
खुले बाजार में गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है।
इससे किसे फायदा हो रहा है ? ना तो किसान और ना ही आम उपभोक्ता, बल्कि इसका फायदा मात्र बड़ी कंपनियों को मिल रहा है।

यही कहानी चीनी के साथ भी है।
दो साल पहले जब किसानों ने गन्ने की बहुत ही बेहतर उपज पैदा की तो उन्हें उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य न देकर दंडित करने का काम किया गया।
इससे किसे फायदा मिला ? बड़ी चीनी कंपनियों ने इससे बहुत अधिक मुनाफा कमाया। 33 कंपनियों ने मात्र एक साल में अपने मुनाफे को 30 करोड़ से बढ़ाकर 900 करोड़ कर लिया जो 2900 प्रतिशत होता है ! किसान तो इससे प्रभावित हुआ ही और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी एक किलो चीनी के लिए 40 रूपये देना पड़ा।

वायदा व्यापार के दायरे में खाद्य पदार्थों को शामिल करने की इजाजत देना– यह सरकार की एक अन्य नीति रही जिसके कारण बेतहासा मंहगाई बढ़ी। जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए मुनाफाखोरी की

इजाजत क्यों दी गई ? वायदा कारोबार के लिए शुरुआत में गेहूं पर जो रोक लगी थी, उस रोक को भी केन्द्र सरकार ने हटा लिया। प्राइवेट कंपनियों ने इस क्षेत्र में भी खूब मुनाफा कमाया। हम खाद्य पदार्थों के सभी वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने लाखों लोगों को राशन–कार्ड से वंचित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को असल में खत्म कर दिया है। ग्रामीण भारत में एक व्यस्क व्यक्ति के लिए गरीबी–रेखा की 11 रुपये प्रतिदिन की बोगस परिभाषा का परिणाम यह हुआ कि गरीबों की एक बहुत बड़ी संख्या को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिले और बाकी गरीबों के बारे में कहा गया कि वे गरीबी की रेखा के ऊपर हैं। एक आदमी या औरत जिसकी कमाई 15 रुपये प्रतिदिन है, क्या वह गरीब नहीं है ? उन्हें बी.पी.एल. कार्ड क्यों नहीं मिले ? पिछले 5 सालों में विभिन्न राज्यों में राशन–प्रणाली के लिए जाने वाले चावल और गेहूं में 75 प्रतिशत की कटौती केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है।

हम मांग करते हैं कि असंगठित मजदूरों के सभी हिस्सों – जो व्यस्क कामगार जनता का लगभग 80 प्रतिशत हैं – को बी.पी.एल. कार्ड दिया जाए। हम मांग करते हैं कि तत्काल एक कानून बनाकर प्रत्येक परिवार को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम से कम 35 किलो अनाज दिया जाए।

सबके लिए रोजगार

वामपंथी पार्टियों ने एक बड़े संघर्ष के माध्यम से पिछली यू.पी.ए. सरकार को ग्रामीण भारत में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का कानून बनाने पर मजबूर किया था। लेकिन इस कानून के तहत हर परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही यह रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी नहीं है। पीस रेट वेतन (मात्रानुपाती दर) को उत्पादकता के बहुत ऊंचे और नामुमकिन मानदंडों से जोड़ा गया है, जिसके कारण देश के बड़े भाग में मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता। शहरी इलाकों को रोजगार गारंटी कानून से पूरी तरह बाहर रखा गया है। करोड़ों नौजवान और नवयुवतियां काम की तलाश में हैं। अतः सरकार द्वारा शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी करने वाला कानून बनाना निहायत जरूरी हो गया है।

अभी तक सरकार ही रोजगार मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी एजेन्सी रही है। मगर अपनी उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते केन्द्र सरकार ने भर्ती पर रोक लगा रखी है। इसका रोज़गार पर तथा विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजातियों के युवाओं के लिए रोज़गार की उपलब्धता पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी नौकरियों से वंचित रखा गया है और केन्द्र सरकार उन्हें रोज़गार मुहैया कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। विकलांग नागरिक जिन्हें चिन्हित नौकरियों में 3 प्रतिशत के आरक्षण का हक मिला हुआ है को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

हम मज़दूरों की सुरक्षा की मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार नौकरियों में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाएं, हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा विकलांगों के लिए आरक्षित नौकरियों के रिक्त स्थानों को फ़ौरन भरा जाए।

भूमि सुधार तथा भूमिहीनों व बेघरों के लिए ज़मीन के पट्टे

हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या गांवों में रहती है और उनमें भूमिहीन खेत–मज़दूर शामिल हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन तक नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमिसुधार के महत्व पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। जब तक हमारी ग्रामीण जनता के अधिकांश के पास कोई परिसम्पत्ति न हो और जब तक उनकी क्रय–क्षमता कम रहेगी, भारत का विकास कैसे हो सकता है ? भूमिहीनों को ज़मीन देने पर ज़ोर देने के बजाए केन्द्र की सरकारों ने लगातार इसके उलट नीतियां अपना रही हैं। वे कार्पोरेट कम्पनियों को ज़मीन खरीदने की या छोटे किसानों से ज़मीन पट्टे पर लेने की इज़ाज़त दे रही हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा तथाकथित बंजर भूमि के विशाल इलाक़े कार्पोरेट कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं।

भारत की लाखों जनता के पास रहने के लिए घर नहीं है। इन्दिरा आवास योजना एकदम नाकाफी है। ज़रूरत है एक उचित नीति की जो लोगों के आवास के लिए ज़मीन और मकान सुनिश्चित करे। इस पर तुर्रा यह कि केन्द्रीय सरकार अभी तक किसानों की ज़मीन का जबर्दस्ती अधिग्रहण करने के लिए 1894 के क्रूर और पुराने भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल कर रही है। हम मांग करते हैं कि 1894 का कानून रद्द किया जाए, विस्थापन को न्यूनतम किया जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे प्रभावित लोगों को पूरा हर्जाना मिल सके, लाभ में हिस्सा और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता

आज पश्चिम बंगाल जो कि देश में वामपंथी और प्रगतिशील आन्दोलन का हृदय है, पर प्रतिक्रियावादी ताकतें भयंकर हमला कर रही हैं। ये ताकतें वामपंथी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को खत्म करने के लिए उनके घरों पर हमला करने और उन्हें जलाने के लिए हिंसा का प्रयोग कर रही हैं, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्श रही हैं। लोकसभा चुनावों के बाद से 168 वाममोर्चा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नृशंस हत्या की जा चुकी है। हमले का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस माओवादियों के साथ मिलकर कर रही है। तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चरम दक्षिणपंथी से चरम वामपंथी पार्टियों व ताकतों के गठबंधन का एकसूत्रीय कार्यक्रम है– बंगाल में अस्थिरता पैदा करना और इन हथकंडों के माध्यम से वाममोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर करना।

पश्चिम बंगाल में वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के जनवादी विचारों वाले नागरिकों के लिए चिन्ता का विषय है। हम तृणमूल–माओवादी हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जुझारू जनता के साथ और जनवाद की रक्षा के लिए संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं।

मंहगाई पर रोक लगाओ, सबको सस्ता राशन दो
भूमिसुधार लागू करो, किसानो और आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा करो
सबके लिए रोज़गार मुहैया करो

पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ हिंसा बंद करो

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी